

## सबकान्द्रेक्टर व कंसलटेंट को सेवाकर में राहत

भोपाल | देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े हजारों सबकान्द्रेक्टर एवं कंसलटेंट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने इस वर्ष दिवाली का तोहफा दिया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सबकान्द्रेक्टर एवं कंसलटेंट की सेवाएं कर मुक्त कर दी हैं। इसके अंतर्गत अब तक केवल ठेकेदार ही सेवाकर मुक्त थे, सब कान्द्रेक्टर कंसलटेंट, मेन्टेनेंस, आरएंडडी एवं अन्य तमाम एजेंसियों पर सेवाकर का दायित्व आता था। इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसलटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया संगठन के अध्यक्ष एलएन मालवीय और एडवोकेट संजय व्यास ने देशभर के लगभग 1500 से अधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करते हुए सीबीईसी में अपना प्रजेंटेशन 8 अगस्त को दिया था। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी एजेंसियों में हो रही परेशानी को समझते हुए सीबीईसी ने सर्कुलर क्रमांक 1381, 21 अक्टूबर को जारी किया है। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सबकान्द्रेक्टर और कंसलटेंट्स सेवाओं को सेवाकर से मुक्त कर दिया है।

# इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसियां सेवाकर से मुक्त

पीपुल्स सवादादाता, भोपाल

देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े हजारों सबकान्ट्रेक्स-कंसलटेंट्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने इस वर्ष दिवाली तोहफा दिया है। जिसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंसलटेंट्स की सेवाएं मुक्त कर दी गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर कंसलटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया संगठन के अध्यक्ष

एलाएन मालवीय और एडवोकेट सीबीईसी ने कंसलटेंट्स को मुक्त करने का उद्देश्य बताया। 2000 के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करते हुए सीबीईसी में अपना प्रजेंटेशन 8 अगस्त 2011 को दिया था।

सीबीईसी ने 21 अक्टूबर 11 को एक सर्कुलर जारी किया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सबकान्ट्रेक्स व कंसलटेंट्स एवं एजेंसियों की सेवाओं को सेवाकर से मुक्त कर दिया है।

# सब कांटेक्टर व कंसल्टेंट को सेवाकर में राहत

भोपाल (कापॉरिट प्रतिनिधि) ! देशभर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े हजारों सब कांटेक्टर्स व कंसल्टेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा राहत में दिवालिया का तालिका दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सब कांटेक्टर्स, कंसल्टेंट्स की सेवाएं कर से मुक्त कर दी गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक केवल ठेकेदार ही सेवाकर से मुक्त थे और सब कांटेक्टर्स, मेटेनेंस, आरएंडडी एवं अन्य तन्मात्र एजेंसियों पर सेवाकर का दायित्व आता था। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स एसो. ऑफ

इंडिया संगठन के अध्यक्ष एलएन मालवीय ने इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। मालवीय ने बताया कि 2012 में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई दिवालिया तालिका में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सब कांटेक्टर्स, कंसल्टेंट्स को राहत दी जाता था। श्री मालवीय ने बताया कि संगठन के अध्यक्ष के नाते उन्होंने और एडवोकेट संजय व्यास (इंदौर) ने सीबीईसी में अपना प्रजेंटेशन 8 अगस्त 2011 को दिया था। श्री मालवीय ने बताया कि इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई दिवालिया तालिका में शामिल वाले लगभग 500 करोड़ रुपए का भार समाप्त हो गया है।